कैबिनेट शाखा

झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

पंचम (बजट)-सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक- 12 फाल्गुन, 1937 (श0) / 02 मार्च, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
108.	अ0सू0-15	श्री आलमगीर आलम	दलीय आधार पर चुनाव कराना	ग्रामीण विकास	17.02.16
109.	अ0सू0-19	श्री अरूप चटर्जी	अग्रणी शहर बनाना	नगर विकास	25.02.16
110.	अ0सू0-18	श्री नवीन जयसवाल	आवास उपलब्ध कराना	नगर विकास	25.02.16
111.	अ0सू0-21	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	पेयजलापूर्ति प्रारंभ करना	पेय0 एवं स्वच्छता	25.02.16

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

राँची
दिनांक-02 मार्च, 2016 ई0।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-1782/वि0स0, राँची, दिनांक- 29/02/16 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

29.02.16
(अनिल कुमार)
उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0/-

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-.....1782...../वि0स0, राँची, दिनांक- 29/02/16 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29.02.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-05/15-.....1782...../वि0स0, राँची, दिनांक- 29/02/16 ई0।

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

29.02.16

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

29/02

एक्का/-

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–15 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत पंचायतों का निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होता है ?	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में राज्य के सभी जिलों एवं प्रखण्डों में जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख/उप प्रमुख के चुनाव में भारी पैसे का लेन–देन के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ?	मात्र एक मामला गुमला जिले के अन्तर्गत भरनो पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख के चुनाव में प्रकाश में आई थी जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा उस तिथि को चुनाव स्थगित कर दी गई । पुलिस अधीक्षक, गुमला द्वारा सामान्य वातावरण के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमोदित तिथि को शांति पूर्वक चुनाव सम्पन्न किया गया । अन्य किसी भी जिले से इस प्रकार का प्रमाणिक मामला प्रतिवेदित नहीं है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 में संशोधन कर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचारित नहीं है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–01स्था (वि0)–82/2016–727–/, राँची, दिनांकः–1·3·16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1102 दिनांक 17.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01स्था (वि0)–82/2016–727–/, राँची, दिनांकः– 1·3·16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –01स्था (वि0)–82/2016–727–/, राँची, दिनांकः–1·3·16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

1/3/16
सरकार के अवर सचिव

109

श्री अरूप चटर्जी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–19 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला राज्य के सबसे अधिक राजस्व देने वाला जिला के साथ डी. जी.एम.एस. जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का मुख्यालय, एशिया महादेश में खनन् का पहला संगठित शिक्षण संस्थान आइ.एस.एम. का प्रारंभ क्षेत्र, देश की सबसे पुरानी 100 नगरपालिका में एक नगरपालिका तथा यह देश का कोयला राजधानी की संज्ञा से विभूषित है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के विपरीत क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया के स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में देश के शहरों की रैकिंग में धनबाद को सबसे गंदा शहर का खिताब दिया गया है ;	इसकी आधिकारिक सूचना अप्राप्त है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब उपर वर्णित खण्डों के विषयों को देखते हुए राज्य में धनबाद को एक अग्रणी शहर बनाने की मंशा रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	धनबाद को स्वच्छ एवं अग्रणी शहर बनाने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 / अल्पसूचित–42 / 2016 1100 / राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1500, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
29/2/16

110

श्री नवीन जासवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–02.03.16 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–18 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हटिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एच०ई०सी० इलाके जैसे बरकोचा, न्यू कॉलोनी, शिव मंदिर जगरनाथपुर, पटेल नगर, मौसीबाड़ी इत्यादि जगहों में बहुत सारे लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन लोगों के पास रहने के लिए अपना कोई आवास नहीं है ;	स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हटिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त इलाकों में अनाधिकृत रूप से रह रहे गरीब लोगों के लिए पुनर्वास नीति के तहत् रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आवास आवंटन हेतु आवेदन दे सकते हैं।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / अल्पसूचित / 102 / 2016 / न0वि0 1096 / राँची, दिनांक :– 29/02/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1498, दि0–25.02.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/02/16
सरकार के उप सचिव।

(111)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी , मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–02.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0 सू0 –21 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि गढवा जिलान्तर्गत 36,73,300.00 की लागत से गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य 13.02.2013 से प्रारम्भ है एवं इसे पूर्ण करने का निर्धारित समय 12.02.2015 था ?	वस्तुस्थिति यह है कि गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना की प्राक्कलित राशि रूपये 36,73,30,114 पर नगर विकास विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसको प्रारंभ होने की तिथि–13.02.2013 एवं पूर्ण होने की तिथि –12.02.2015 थी परन्तु WTP एंव intakewall के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में प्रकियात्मक विलंब होने के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हुई है योजना के वर्त्तमान में दिनांक–10.02.2016 को भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरान्त WTP एंव intakewall निर्माण कार्य प्रारंभ कर दी गई जिसे अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूरा कर लिया जायेगा।
2	क्या यह बात सही है कि स्थानीय प्रशासन की विफलता की वजह से 10 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य पूर्ण नही हो पाया ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलंब जमीन उपलब्ध करा कर शेष कार्य को पूरा कराने एवं जिन प्रशासनिक पदाधिकारियों की वजह से जमीन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया उनके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए पेयजलापूर्ति योजना पूर्ण कर पेयजलापूर्ति प्रारम्भ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ अ0 सू0–01–12/2015 996 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1531 दिनांक–25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ अ0 सू0–01–12/2015 996 दिनांक :– 29/2/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

29/02/16